and gang rape, *permanent incapacitation* and dacoity may be arranged within three months of date of atrocity as follows:-

(i) Pension to each widow/or other dependents of deceased SC and ST @Rs. 1,000 per month, or Employment to one member of the family of the deceased, or provision of agricultural land. a house, if necessary by outright purchase.

(ii) Full cost of the education and maintenance of the children of the victims. Children may be admitted to Ashram Schools/ residential schools.

(iii) Provision of utensils, rice, wheat, dais, pulses, etc. for a period of three months.

3. Rule 15 of the Rules also stipulate that the State Governments shall prepare a model contingency plan for implementing the provisions of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 which shall contain, *inter alia,* a package of relief measures including the following:-

(a) scheme to provide immediate relief in cash or in kind or both

(b) allotment of agricultural land and house sites;

(c) the rehabilitation packages;

(d) scheme for employment in Government or Government undertaking to the dependent or one of the family members of the victim;

(e) pension scheme for widows, dependent children of the deceased, handicapped or old age victims of atrocity;

(f) mandatory compensation for the victims;

(g) scheme for strengthening the socio-economic condition of the victims;

(h) provisions for providing brick/stone masonry house to the victims;

(i) such other elements as health crore. supply of essential tomidtities, electritication, adequate drinking wsier facility, burial/cremation ground and link roads to the Schedduled. Caiic- and the 5eheuui«j Tribes habitats.

सौराष्ट्र में दूध की आवश्यकता

937. **श्री गोपाल सिंह जी0 सोलंकी** : क्या **कृषि** यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रति-दिन अनुमानत: कितने दूध की आवश्यकता है;

(ख) वर्तमान में इसकी कुल आवश्यकता में सहकारी और सरकारी डेयरियों द्वारा कितनी मात्रा में दूध की आपूर्ति की जाती है;

(ग) क्या सरकार ने सौराष्ट्र क्षेत्र में केन्द्रीय सहायता से डेयरियां खोलने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो ये डेयरियां किन-किन स्थानों पर खोले जाने की संभावना है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अयूब खान) : (क) तथा (ख) जिलेवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) तथा (घ) ऑपरेशन फल्ड कार्यक्रम चरण III के अंतर्गत सुरेन्द्र नगर, भावनगर, जूनागढ़ तथा कच्छ खोलने के लिए सहायता प्रदान की गई है।

खनिजों का निजीकरण

938. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला** :

श्री राजनाथ सिंह :

श्रीमती मालती शर्मा :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ खानों का निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस संबंध में संबंधित राज्यों से परामर्श किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमंग) : (क) से (घ) नयी राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 से खनिज क्षेत्र को निजी निवेश के लिये खोल दिया गया है । 13 खनिजों अर्थात लौह अयस्क, मैगनीज अयस्क, क्रीम अयस्य, सल्फर, स्वर्ण, हीरा, तांबा, सीसा, जस्ता, गोलीब्डेनम, टंगस्टन अयस्क, निकिल और प्लेटिनम समूह की धातुएं जो सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा विदोहन के लिये आरक्षित थीं, को निजी क्षेत्र द्वारा विदोहन के लिये अनारक्षित कर दिया गया है ।

राज्य सरकार खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार खनिज रियायतों की स्वीकृति के लिये आवेदन प्राप्त करती है और उन पर कार्रवाई करती है ।

Production of Pulses

939. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of AGRICULTURE be plased to state:

(a) the present production of pulses in the country;

(b) whether it is a fact that the production is short of country's requirements and if it is so, to what extent;

(c) the per capita availablity of pulses in the country in 1995 as compared to that during the year 1994;

(d) the area under pulses cultivation in the country during the years 1994 and 1995 separate!/;

(e) whether Government have fixed any target for increasing per-hectare production rate as well as total production; and

(f) the target fixed for the year 1996-97 on the basis of requirement of pulses by that year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI MOHD. AYUB KHAN) (a) The production of pulses in 1994-95 in the country is 14.12 million tonnes.

(b) The gap between demand and supply of pulses in the country is around 3 million tonnes.

(c) The per capita per day availability of pulses was 37 grams in 1995 as against 37.2 grams in 1994.

(d) The area under pulses cultivation during 1994-95 was 23.17 million hectares. The estimates of area coverage for 1995-96 are awaited.

(e) The productivity targets are not fixed. The production target for the terminal year of Eighth Plan (1996-97) was indicated by the Planning Commission at 17 million tonnes based on its requirements.

(f) Planning Commission has fixed a production target of 17 million tonnes for the year 1996-97 which is yet to be finalised keeping in view the past performance of the Sates.

इस्पात के आवंटन के लिए मानदंड

940. **श्री रामजीलाल** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस्पात के कोटे के आवंटन के मामले में अपनाया गया मानदंड क्या है;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडी जातियों को यह कोटा आरक्षण के आधार पर दिया जाता है और यदि हां, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार अन्य पिछडी जातियों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को यह कोटा आवंटित करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) दिनांक 16/17-1-1992 से लोहे और इस्पात के वितरण तथा मूल्यन पर से नियंत्रण समाप्त किए जाने के फलस्वरूप "सेल" ने विद्यमान बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विपणन हेतु अपने दिशा-निर्देश प्रारम्भ किए हैं । "सेल" ने विद्यमान बाजार परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विपणन हेतु अपने दिशा-निर्देश प्रारम्भ किए हैं । "सेल" के विपणन दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी उपभोक्ता, विविध आर्डर बुकिंग योजनाओं के तहत बुक किए गए आर्डरों पर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस्पात सामग्री की निर्बाध रूप से "सेल" से सीधे आपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं । इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता "फ्री सेल" हेतु उपलब्ध सामग्री को भी बिना किसी बुकिंग के प्राप्त कर सकते हैं ।